जनहित याचिका संख्या–19580/2016, राधेश्याम मिश्रा बनाम राज्य सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2016 के अनुपालन में दिनांक 25.05.2016 को सायं 5.30 से 6.00 बजे मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति–

सर्वश्री

1–श्रीप्रकाश सिंह, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।

2–राकेश कुमार मिश्र, निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।

3–सुखेन्द्र कुमार, सहायक निदेशक(लेखा), नगर निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।

4–पी0के0सिन्हा, मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

5–एस0सी0सिंह, अधिशासी अभियंता, नगर निगम, वाराणसी।

6–आर0एन0गोयल, महाप्रबन्धक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

बैठक में अवगत कराया गया कि जनहित याचिका संख्या–19580/2016 राधेश्याम मिश्रा बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा सम्बद्ध जनहित याचिका संख्या–39077/2015 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 29.04.2016 को यह आदेश पारित किये गये है कि नगर निगम इलाहाबाद द्वारा एस0टी0पी0 के लिये चिन्हित/अधिग्रहीत भूमि पर कूड़ा–कचरा जमा किया जा रहा है जिससे शहर मे प्रदूषण फैल रहा है। उक्त के कारण हो रही गन्दगी से जन–जीवन प्रभावित हो रहा है। उक्त समस्या के समाधान हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में बैठक आहूत कराये जाने के निर्देश मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2016 द्वारा दिये गये हैं। प्रश्नगत वाद की अगली सुनवाई दिनांक 27 मई, 2016 को निर्धारित है, जिसमें नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी को स्टेटस रिपोर्ट प्रतिशपथ–पत्र के माध्यम से दाखिल किया जाना है।

2– मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.2016 को पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 25.05.2016 को सम्पन्न बैठक में वाराणसी से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं के संदर्भ में श्री प्रवीण प्रकाश, संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–क्यू–16019/1/2014–सीपीएचईईओ, दिनांक 13.04.2016 में उठाये गये बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किया गया। अवगत कराया गया कि संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के उक्त पत्र में उठाये गये बिन्दुओं के संदर्भ में कार्यवाही कर ली गयी है, जो निम्नवत् है–

(1) शासनादेश संख्या–65जीआई/नौ–5–2016–88सा/2016 दिनांक 30 अप्रैल, 2016 द्वारा वाराणसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना के कियान्वयन/संचालन के परिप्रेक्ष्य में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन(एनटीपीसी) को पूर्ण सहयोग प्रदान किये जाने तथा परियोजना के ओवरहाल तथा आपरेशन एवं संचालन की अनुमति प्रदान की जा चुकी है तथा 01 जुलाई, 2016 से परियोजना पूर्णतयाः कियाशील हो जायेगी।

u.o. rathore

(2) कार्यालय–ज्ञाप संख्या–65जी0आई0(2)नौ–5–2016–88सा/2016, दिनांक 30.04.2016 द्वारा वाराणसी सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना के ओवरहाल तथा संचालन एवं रखरखाव हेतु एन0टी0पी0सी0 को अनुमति प्रदान किये जाने के परिप्रेक्ष्य मे कन्सेसनायर मे0 एटूजेड वेस्ट मैनेजमेन्ट की सहमति प्राप्त किये जाने तथा उक्त परियोजना अन्तर्गत वर्तमान में सृजित एवं अवस्थित परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी की अध्यक्षता में समिति गठित किये जाने के आदेश दिये गये है। वर्तमान समय में एन0टी0पी0सी0 द्वारा मशीनों के ओवरहाल का कार्य प्रगति पर है।

(3) रमना स्थित नगर निगम की भूमि पर डाले गये कूड़े की कैपिंग हेतु शहरी विकास मंन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूमि पर एस0टी0पी0 निर्माण हेतु रू0 150.95 करोड़ के डी0पी0आर0 की स्वीकृति दिनांक 05.05.2016 को इम्पावर्ड स्टेयरिंग कमेटी द्वारा प्रदान कर दी गयी। एन0एम0सी0जी0 द्वारा वित्तीय स्वीकृति एवं धनावंटन की कार्यवाही की जानी है।

उक्त प्रकरण में विचार–विमर्श के पश्चात् निर्देश प्राप्त हुआ कि वर्तमान स्थिति के अनुसार दिनांक 27 मई, 2016 से पूर्व मा0उच्च न्यायालय में नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी द्वारा स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाय। यह भी निर्देश प्राप्त हुआ कि मा0उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.04.2016 में पारित आदेश के प्रस्तर–1 में एस0टी0पी0 के संबंध में उल्लिखित तथ्यों की वस्तुस्थिति से भी स्टेटस रिपोर्ट में अवगत कराया जाय। यह सूचना उ0प्र0 जल निगम से प्राप्त कर ली जाय।

उपरोक्तानुसार हुए विचार–विमर्श व संस्तुति के पश्चात बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

27/5/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्याः 17रिट(2)/नौ–5–2016–19रिट/16
लखनऊः दिनांकः 26 मई, 2016

प्रतिलिपि समस्त संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

आज्ञा से,
(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

u.o. rathore